

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी :- दिव्या आर.ए.एस.

वाद संख्या :-73/2025

दावा अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 व

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956


निर्णय दिनांक :- 11/06/2025

अनुवान सुमनदेवी बनाम राजस्थान राज्य

### आदेश

प्रार्थनी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र/दावा एवं राज पैरोकार तहसीलदार सरदारशहर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जयसंगसर तहसील सरदारशहर की जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 में खाता संख्या नया 138 पुराना 119 में वर्तमान प्रविष्टि को आज दिनांक 11/06/25 को निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या नया (पुराना)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	जयसंगसर	138 (119)	शिमा पुत्री जगना	सुमनदेवी पुत्री जगना




दिव्या (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

सरदारशहर (चूरु)

तिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार सरदारशहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद तीन दिवस में किया जाकर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावे।
2. प्रार्थी श्री/श्रीमती .....



दिव्या (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

सरदारशहर (चूरु)

